रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2010/अग्रहायण 16, 1932
No. 660] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2010/AGRAHAYANA 16, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 955(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समूह 'ग' (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 13 पर ज्येष्ठ अभिलेखपाल पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"14. अवर श्रेणी लिपिक	*40 (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200-20,200 रु.+ ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नही होता	लागू नही होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/शारीरिक नि:शक्त व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए शिथिल की जा सकती है।)

		(7)
		टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों और खुले विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से और खुले विज्ञापनों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
शैक्षिक अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं या विश्वविद्यालय उत्तीर्ण या समतुल्य; अर्हता (ii) केवल कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) **टिप्पण :** भर्ती के समय अंग्रेजी या हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है । अंग्रेजी या हिन्दी का विकल्प भर्ती के समय, अभ्यर्थियों के दिया जाता है । यदि भर्ती के समय अभ्यर्थी हिन्दी का ज्ञान नहीं रखता है तो उसे अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उससे वही अर्जित किया जाना अपेक्षित है ।	आयु : लागू नहीं होता । आवश्यक अर्हता : जैसाकि स्तम्भ 8 के अधीन विहित है ।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1 वेतनमान 5200-20,200 धन ग्रेड वेतन 1800 रु. में

(11)	(12)
(ii) अर्हित विभागीय परीक्षा द्वारा दस प्रतिशत; और (iii) प्रोन्नति द्वारा दस प्रतिशत (iv) उपरोक्त (i) से (iii) तक न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और स्तम्भ आठ के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पद धारी द्वारा अपनी श्रेणी/पद में तीन वर्ष नियमित सेवा पूरी होने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **विभागीय अर्हक परीक्षा :** वेतन बैंड, वेतनमान 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में समूह 'ग', कर्मचारी और जो 12वीं उत्तीर्ण हो या समुल्य अर्हताएं रखते हों और तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) है । विभागीय अर्हक परीक्षा इस निमित अधिसूचित विनियमों के उपबंधों के अनुसार संचालित की जाएगी । **टिप्पण (क) :** विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं भरी जाने वाली रिक्तियों को अग्रनयन नहीं किया जाएगा । **टिप्पण (ख) :** यदि उक्त परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे अर्हक कर्मचारी उपलब्ध हैं तो ऐसे कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या को पश्चात्वर्ती वर्षों में उदभूत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हकारी कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके जिसमें वे पश्चात्वर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं । **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** जो भारत सरकार में अन्य मंत्रालयों या विभागों अथवा स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में नियमित क्षमता में सदृश्य पद धारण कर रहें हैं । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर

	(12)
	आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसमें जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. निदेशक/संयुक्त निदेशक (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग —अध्यक्ष 2. उप-निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव, भारत सरकार —सदस्य	लागू नहीं होता"

[फा. सं. 1(1)/2009-का.-III]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 660(अ), तारीख 6 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2010

G.S.R. 955(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology Group 'C' (Amendment), Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C', Posts, the following serial number and the entries shall respectively be inserted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"14. Lower Division Clerk	40* (2010) *Subject to variation	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-	Pay Band-1, in the scale of pay of Rs.5200-20,200	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes/Scheduled Tribes/

(2)	(3)	(4)	(7)
dependent on workload.	Ministerial	with Grade Pay of Rs. 1900	other Backward Classes/ Physically handicapped/ Ex-Serviceman in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange and for open advertisement shall be the last date up to which the Employment Exchange and in the open advertisements is asked to submit.

Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Educational Qualifications (i) 12th pass or equivalent qualification from recognized Board or University. (ii) Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi only on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	**Age :** Not applicable **Essential Qualification :** As prescribed under column (8).	Two years for direct recruits.

4664GI/12

(8)	
Note : Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his probation period.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
(i) Eighty per cent by direct recruitment; (ii) Ten per cent by Departmental Qualifying Examination; (iii) Ten per cent by promotion; (iv) Failing (i) to (iii) above, by deputation.	**Promotion :** Group C employees in Pay Band-1 in the pay scale of Rs. 5200-20,200 plus Grade of pay of Rs. 1800 who have rendered three years regular service in the grade and possess qualifications specified under column (8). **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officials of the three years regular service in the respect grade/post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Note 3** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Departmental Qualifying Examination :** Group 'C' employees in Pay Band-I in the scale of pay of Rs. 5200-20,200 plus Grade pay of Rs.1800 and who possess 12th pass or equivalent qualifications and have rendered three years regular service. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC or ST). The Departmental Qualifying Examination will be conducted in accordance with the provisions of the regulations notified on this behalf. **Note :** (a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (b) If more of such employees than the number of vacancies available qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. **By deputation :** From amongst those holding analogous post in a regular capacity in other Ministries or Departments of Govt. of India or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings. **Note 1:** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years.

(12)
Note 2 : The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 on the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of the following :— 1. Director/Joint Director (Personnel), Department of Information Technology —Chairman 2. Deputy Director, Department of Information Technology —Member 3. Under Secretary to the Government of India from a Ministry or a Department other than the Department of Information Technology —Member	Not applicable."

[F. No. 1(1)/2009-Pers. III]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Note : Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 660(E), dated 6th August, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.